न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./79/2024/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
खेमराज पुत्र गेनाराम जाति कुम्हार निवासी पुनडो की बस्ती उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर	1. हेमाराम पुत्र गेनाराम जाति कुम्हार निवासी पुनडो की बस्ती उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर। 2. रतनलाल पुत्र केशाराम 3. मोहनलाल पुत्र केशाराम 4. नारायणप्रकाश पुत्र केशाराम 5. गुमनाराम पुत्र गेनाराम 6. भुराराम पुत्र गेनाराम जाति कुम्हार निवासी पुनडो की बस्ती उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर। 7. मुलाराम पुत्र गेनाराम जाति कुम्हार निवासी पुनडो की बस्ती उण्डखा हाल गांधी नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर। 8. तहसीलदार बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2022 बउनवान हेमाराम बनाम रतनलाल वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति–

1. वकील श्री मोहनलाल खत्री अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनील के. मेराजा रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 से 07 की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांकः–14 जनवरी 2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पुनड़ो की बस्ती में खसरा नंबर 84, खसरा नंबर 85 तथा मौजा किशनाणियों का तला में खसरा नंबर 678/123, खसरा नंबर 122, खसरा नंबर 551/121 की भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी का खसरा नंबर 84, 85, 551/121 में 1/6 हिस्सा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा नंबर 678/123 में 1/5 हिस्सा तथा खसरा नंबर 122 में वादी 261/1205 वा हिस्सा निहित है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं। वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहता हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक, तीन से पांच की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.11.2023 जारी कर तहसीलदार बाड़मेर से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विचारण न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 07.03.2024 को उभय पक्ष की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रदान किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07.03.2024 पारित की गई। तत्पश्चात अपीलांट की ओर से दिनांक 19.03.2024 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि उसके अधिवक्ता द्वारा अपीलांट की बिना अनुमति के सहमति प्रदान की गई है। अपीलांट विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत करना चाहता है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व की कार्यवाही को निरस्त करते हुए अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया तथा उसकी ओर से प्रस्तुत आपत्तियों को निरस्त करते हुए दिनांक 23 मई 2024 वाद अंतिम रूप से स्वीकार करते हुए संशोधित निर्णय पारित कर किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वक़ील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने संशोधित डिक्री के निर्णय में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को अधिकृत किया था, परन्तु न्यायालय में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव नायब तहसीलदार, आर आई राणीगांव एवं पटवारी द्वारा बनाया गया है एवं ततपश्चात स्वयं तहसीलदार द्वारा काऊन्टर साईन कर स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का उललेख किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लिखित में आपति प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुरूप नहीं बनाया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की आपति पर किसी प्रकार से गौर किये बिना ही एक पक्षीय विभाजन प्रस्ताव के आधार पर यह अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो कि पूर्णतया विधि द्वारा स्थापित नियमो के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय में जो विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था उस बाबत् अपीलकर्ता द्वारा आपति प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 14.12.2023 को आने के बाद एवं विभाजन प्रस्ताव बनाने से पूर्व दिनांक 23.01.2024 को एक आवेदन पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब बाड़मेर को प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया था कि जो विभाजन प्रस्ताव बनाया जा रहा है, उक्त विभाजन प्रस्ताव के संबध में आपति यह है कि दिनांक 14.12.2023 को मौके पर आये नायब तहसीलदार बाड़मेर, आर आई राणीगांव व पटवारी द्वारा हम सभी खातेदारान से रात हो जाने के कारण हम सभी खातेदारान पक्षकारान के खाली कागजात पर हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान करवाये व दिनांक 12.01.2024 को पुनः आर आई कार्यालय गये, तब हम खातेदारान को हमारे हस्ताक्षर सुदा नक्शा बताया गया, वह नक्शा हम खातेदारान जहां पर काबिज है, उस अनुसार नहीं बनाकर अपनी मनमर्जी से बनाया है। उसके बावजूद हम खातेदारान जहां पर काबिज थे एवं जिस प्रकार हम विभाजन करवाना चाहते है, उस अनुसार नहीं बनाकर अपनी मनमर्जी से बनाया गया। उक्त आशय की लिखित में आपति करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधिनुसार पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव को टिनेन्सी नियम 18 से 21 की प्रकिया अनुसार तैयार किया जाना बाध्यकारी है, परन्तु इस प्रकरण में इन नियमो की सर्वथा अनदेखी की गई है। विभाजन प्रस्ताव खातेदारान के कब्जे के विपरित नियम 18 से 21 की घोर अवहेलना कर एक पक्षीय तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 122 में दो टुकडो में 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि बंट में दी गई है, जबकि उक्त खसरा में अपीलकर्ता का कब्जा 23 बीघा भूमि पर स्थित है। खसरा नम्बर 122 में जहां पर 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि बताई गई है, वहां पर अपीलकर्ता का 18 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। इसी खसरा में जहां पर प्रतिवादी संख्या 5 अपीलकर्ता का 5 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है, वहां पर 10 बीघा भूमि बताई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विरूद्ध पारित किये गये है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.5.2024 को निरस्त किया जावे एवं अपीलकर्ता को वाद में सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देते हुए पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड कराने का आदेश प्रदान करावे।

प्रत्युतर में वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 07.03.2024 को अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पो. के अधिवक्ता की सहमति से वाद स्वीकार करते हुए निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये गये थे। तत्पश्चात अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर पुनः सुने जाने का निवेदन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2024 को पूर्व पारित अंतिम डिक्री एवं समस्त कार्यवाही को समाप्त करते हुए विधि की मंशा अनुरूप अपीलांट को सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पुनः अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलांट का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव के खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवाये गये है। अपीलांट स्वयं एक शिक्षक है जो सामान्य कानूनी जानकारी रखता है। इस कारण अपीलांट द्वारा उठाया गया उक्त उज्र कतई मानने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट के अधिवक्ता सहित उभय पक्ष के अधिवक्तागण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रदान किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से तहसीलदार बाड़मेर की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 मार्च 2024 पारित किया जाना प्रकट होता है। दिनांक 19 मार्च 2024 को अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर असहमति जाहिर किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए दिनांक 07 मार्च 2024 को की गई कार्यवाही को समाप्त करते हुए पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु नियत किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ पस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 मई 2024 के जरिये वाद को अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.12.2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बाड़मेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में अपीलांट सहित उभय पक्षकारान् को सम्यक रूप से सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स तैयार किया जाना प्रकट होता है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलांट का मुख्य उज्र है कि खाली कागजों पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवाये गये है। इस संबंध में अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत है कि अपीलांट स्वयं एक शिक्षक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। अपीलांट इस प्रकार खाली कागजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत होने से अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2022 बउनवान हेमाराम बनाम रतनलाल वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2024 यथावत रखे जाते है।

(ओमप्रकाश [illegible])
[illegible] अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर